न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक, कोर्ट सं0–1, उन्नाव।

सत्र वाद संख्याः– 216/2015

राज्य बनाम राम प्रसाद आदि

दिनॉकः–17–9–2024

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 26–ख व 27–ख हेतु नियत है। उभय पक्षो को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 26–ख

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र 26–ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में साक्षीगण पी0डब्लू08 द्वारा इस नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 तथा पी0डब्लू09 द्वारा साबित आरोप पत्र पर प्रदर्श क–13 के स्थानन पर प्रदर्श क–15 पड़ना है तथा एफ0एस0एल रिपोर्ट सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी में प्रदर्श क–14 के स्थान पर प्रदर्श क–16 व एफ0एस0एल0 रिपोर्ट (कपड़ो पर) प्रदर्श क–15 के स्थान पर प्रदर्श क–17 पड़ना है तथा एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की फोटो प्रतियो पर वस्तु प्रदर्श 1, 2, 3 डालने की याचना की है।

अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 26–ख पर कोई आपत्ति नही की गयी है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये प्रपत्रो में प्रदर्श की क्रम संख्या गलत अंकित हो गयी है जिसके सुधारने से उक्त वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। उक्त मामला काफी प्राचीन है। मा0उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन अनुसार उक्त पत्रावली ऐक्शन प्लान की श्रेणी में आती है, जिसे शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। साक्षी पी0डब्लू08 द्वारा इस नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 तथा साक्षी पी0डब्लू09 द्वारा साबित आरोप पत्र पर प्रदर्श क–13 के स्थान पर प्रदर्श क–15 पड़ना है तथा एफ0एस0एल रिपोर्ट सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी में प्रदर्श क–14 के स्थान पर प्रदर्श क–16 व एफ0एस0एल0 रिपोर्ट (कपड़ो पर) प्रदर्श क–15 के स्थान पर प्रदर्श क–17 पड़ना है तथा एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की फोटो प्रतियो पर प्रदर्श 1, 2, 3 पड़ना न्यायोचित होगा। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 26–ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 26–ख स्वीकार किया जाता है। साक्षी पी0डब्लू08 द्वारा साबित नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 तथा साक्षी पी0डब्लू09 द्वारा साबित आरोप पत्र पर प्रदर्श क–13 के स्थान पर प्रदर्श क–15 तथा एफ0एस0एल रिपोर्ट सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी में प्रदर्श क–14 के स्थान पर प्रदर्श क–16 व एफ0एस0एल0 रिपोर्ट (कपड़ो पर) प्रदर्श क–15 के स्थान पर प्रदर्श क–17 तथा एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की फोटो प्रतियो पर प्रदर्श 1, 2, 3 संशोधित किया जाता है।

(स्वतन्त्र प्रकाश)
अपर जिला जज्/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, उन्नाव।

दिनॉकः–17–9–2024

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र 27**–ख** प्रस्तुत किया गया है जिस पर उभय पक्षो को पूर्व में सुना जा चुका है।

सत्र वाद संख्या 216/2015, अपराध संख्या 59/2013, धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय

दण्ड संहिता, थाना कोतवाली जिला उन्नाव के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र 27–ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में साक्षीगण के द्वारा साबित किये गये प्रपत्रो पर प्रदर्श पड़ा है परन्तु सहबन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर बनने से छूट गये है जो कि तकनीकी त्रुटि है जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः साबित किये गये प्रपत्रो पर पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर बनाये जाने की याचना की है।

अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 27–ख पर कोई आपत्ति नही की गयी है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये प्रपत्रो में प्रदर्श के नीचे सहबन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर छूट गये है। साबित कराये गये प्रपत्रो में प्रदर्श के नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने से उक्त वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। उक्त मामला काफी प्राचीन है। मा0उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन अनुसार उक्त पत्रावली ऐक्शन प्लान की श्रेणी में आती है, जिसे शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 27–ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27–ख स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई निस्तारण प्रार्थना पत्र 28–क लंच बाद पेश हो।

(स्वतन्त्र प्रकाश)
अपर जिला जज्/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, उन्नाव।